न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

<u>अपील संख्या 10/15</u>   निर्णय दिनांकः–26.04.2019

1. सरस्वती पत्नी गिरधारी जाति बिश्नोई निवासी चक 9 एमआरएम तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 19–03–2014
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बज्जू

<u>उपस्थितिः–</u>

1. श्री धनेश खत्री, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बज्जु के आदेश दिनांक 19–03–2014 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर विशेष आवंटन चक 9 एमआरएम के मुरब्बा नम्बर 10/35 की 25 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था।

अपीलांट को आवंटन पश्चात् वादगत् भूमि का कब्जा भी प्रदान कर दिया गया था। परन्तु वादगत् भूमि कमाण्ड/अनकमाण्ड होने तथा पिछले कई वर्षो से वर्षा न होने के कारण उक्त भूमि पूर्ण रूप से काश्त नहीं कर पाया। इस कारण अपीलांट समय पर किश्तें जमा नहीं करवा सका। अपीलांट बकाया किश्तें जमा करवाने हेतु आज दिनांक को भी तैयार है तथा अपीलांट द्वारा बकाया किश्तें जमा करवाने हेतु कभी भी इंकार नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज कर दिया गया। इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है।

उन्होनें आगे बताया कि विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत आदेश होने के कारण निरस्त योग्य आदेश है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश केवल मात्र तहसील की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया आदेश है। अदालत मातहत द्वारा अपने स्तर पर कोई नोटिस व सूचना अपीलांट को नहीं दी गई है। अपीलांट आज भी वादगत् भूमि की किश्तें जमा करवाने हेतु तैयार है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 19—03—2014 के विरूद्व अपील दिनांक

08—07—15 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 19—03—2014 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 08—07—2015 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि आवंटी/ अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि चक 9 एमआरएम के मुरब्बा नम्बर 10/35 के बाबत् कुछ किश्तें जमा करवाने उपरान्त बकाया राशि 160572/— जमा करवाई जानी शेष रही। इससे जाहिर है होता है कि वह समय समय पर बकाया किश्तें जमा करवाता रहा है, परन्तु संबंधित अधिकारियों ने इसका रिकार्ड में अंकन नहीं किया तथा अधूरे रिकार्ड के आधार पर व आवंटी को विधिवत रूप से सुनवाई का मौका दिये बिना एकतरफा आदेश जारी करते हुए आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया गया है। प्रकरण में यदि आवंटी/अपीलांट मौके पर काबिज है तो बकाया किश्तें ब्याज सहित एकमुश्त जमा करवाने हेतु अवसर दिया जाना चाहिए था।

इस संबंध में बकाया किश्तें जमा करवाने हेतु राज्य सरकार द्वारा समय समय पर छूट की धोषणा की जाती है। अपीलांट द्वारा समय पर बकाया किश्तें जमा नहीं करवाने में मजबूरी रही है। कुछ किश्तें बकाया रहने के कारण तथा जमा करवाने हेतु समुचित नोटिस दिये बिना केवल तहसीलदार के प्रस्तावों पर चार साल पुराना कीमतन आवंटन रद्द किया जाना न्यायसंगत नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश आवंटन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बज्जु दिनांक 19–03–2014 अपास्त किया जाता है, तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट को बकाया किश्तें जमा करवाने का अवसर देकर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 26.04.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर